



## राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

एस.बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गॉंधी नगर योजना, बीकानेर

Website - www.rsmm.com, email: info.rsmml@rajasthan.gov.in

Registered Office C-89-90, Janpath Lal Kothi Scheme Jaipur - 302015

CIN - U14109RJ1949SGC000505

फोन नं. - 0151-2200171-75, 2540537, फैक्स नं- 0151-2523519

निविदा संख्या / आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 4(14) / 2018-476

दिनांक : 03.08.2018

### राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, बीकानेर कार्यालय में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु निविदा प्रपत्र।

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : दिनांक 30.08.2018 समय: दोपहर 03.00 बजे तक  
निविदा खुलने की तिथि व समय : दिनांक 30.08.2018 समय: दोपहर 03.30 बजे  
निविदा प्रपत्र की बिक्री : दिनांक 06.08.2018 से दिनांक 29.08.2018 तक  
प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक  
(कार्यालय दिवस में)  
स्थान : आर.एस.एम.एम.लि., 2, गॉंधी नगर योजना,  
बीकानेर।  
निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु. 590/- (अखरे रूपये पाँच सौ नब्बे मात्र,  
जी.एस.टी. सहित )

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)  
बीकानेर कार्यालय की ओर से जारी

कॉर्पोरेट कार्यालय  
4, मीरा मार्ग, उदयपुर  
फोन : 0294-2428763-67  
फोन : 0141-2743735

रजिस्टर्ड कार्यालय  
89-90 लालकोठी स्कीम,  
जयपुर



## राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.

(राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान)

एस.बी.यू. एण्ड पी. सी. जिप्सम, 2, गाँधी नगर योजना, बीकानेर

फोन नं. - 0151-2200171-75, 2540537 फैक्स नं. - 0151-2523519

क.आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 4(14) / 2018-476

दिनांक : 03.08.2018

**निविदा नियम एवं शर्तें :-**

1. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, प्लॉट नं.2, गाँधी नगर स्कीम, बीकानेर कार्यालय में केन्टिन (जल पान गृह) चलाने हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. 2.1 निविदाएं दो लिफाफों में निम्नानुसार भरनी है। -  
(अ) प्रथम लिफाफे में जिस पर "टेक्नीकल विड" लिखा होगा, में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे।
  - (1) वांछित धरोहर राशि रु.8,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर।
  - (2) कोई निकट संबंधी का आर.एस.एम.एम.एल. में नियुक्त नही होने का प्रमाण-पत्र।
  - (3) निविदाकार को सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले तीन (3) वर्षों में कम से कम एक (01) वर्ष केन्टिन चलाने का संतोषजनक अनुभव होना चाहिए। निविदाकार का उक्त संस्थान का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

(ब) दूसरे लिफाफे में जिस पर "वित्तीय विड" लिखा होगा, अनुलग्नक-III में दर्रे उल्लेखित करनी होगी।
- 2.2 पहले "टेक्नीकल विड" खोला जायेगा एवं उसके नियमानुसार ठीक पाये जाने पर दूसरा "वित्तीय विड" लिफाफा खोला जायेगा।
- 2.3 (क) दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में बंद करके उस पर निम्न पता लिखना होगा।  
प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम), आर.एस.एम.एम.लि., एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गाँधी नगर योजना, बीकानेर।  
(ख) लिफाफों के उपर "निविदा कमांक एवं दिनांक 30.08.2018 के पूर्व न खोला जाए" लिखा होना चाहिए।  
(ग) लिफाफों के उपर 'निविदाकारद्वारा अपना नाम व पता एवं फोन नम्बर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
3. निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिस पर प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम), एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, 2, गाँधी नगर योजना, आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर कार्यालय लिखा होगा, दिनांक 30.08.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दोपहर 03.30 बजे वरि. प्रबन्धक(का. एवं प्रशा.) के कक्ष में खोली जायेगी।
4. **धरोहर राशि (Earnest Money)**
  - 4.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ निविदा सूचना में दी गई राशि रु.8000/- (रुपये आठ हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि आर. एस. एम. एम. लि. बीकानेर के नाम से देय हो। बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
  - 4.2 सफल निविदाकारकी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
  - 4.3 धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
5. **प्रतिभूति राशि (Security Deposit)**
  - 5.1 प्रतिभूति राशि रु. 40000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) होगी। सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। धरोहर राशि समायोजन करने के पश्चात 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्य आदेश / सहमति पत्र एल0 ओ0 ए0 जारी करने के 15 दिन के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि की कटौती प्रतिमाह के बिलों में से 10 प्रतिशत की दर से से किया जायेगा।



- 5.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।
- 5.3 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य सतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदारके मासिक बिलों में से की जा सकेगी।
- 5.4 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः (06) माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदारको सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो ड्यूज और नो क्लेम का प्रमाण पत्र (No dues and no claim certificate) भी देना आवश्यक है।
- 5.5 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 5.6 पी.एफ. में रजिस्टर्ड प्रस्तावकों अथवा तकनीकी भाग के साथ इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करने पर कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी.एफ.के रजिस्ट्रेशन करवा लिया जायेगा को ही निविदा में भाग लेने हेतु योग्य माना जायेगा।
- 6 वस्तु एवं सेवाकर (GST) से सम्बंधित नियम एवं शर्तें—
  - 6.1 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
  - 6.2 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) रहित एवं अनुबंध पर लागू अन्य सभी करों सहित (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) होगी।
  - 6.3 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर अनुबंध अवधि में स्थिर रहेगी एवं अनुबंध अवधि में प्रस्तुत दर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।
  - 6.4 वस्तु एवं सेवाकर (GST) को समय पर जमा करवाने एवं समय पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगले महीने में RSMML के लिए GST पर आवश्यक क्रेडिट उपलब्ध हो परन्तु यदि क्रेडिट उपलब्ध नहीं होता तो कम्पनी द्वारा इस राशि का भुगतान ठेकेदार के बिल या प्रतिभूति राशि में से कटौती (Deduct)/ वसूल (Recover)/ रोक कर (Retain) किया जायेगा।
  - 6.5 इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के भुगतान नहीं होने की स्थिति में, या GST के भुगतान एवं रिटर्न फाईल से सम्बंधित पेनल्टी भी कम्पनी द्वारा ठेकेदार के बिल या प्रतिभूति राशि में से कटौती (Deduct)/ वसुली (Recover)/ रोक कर (Retain) की जायेगी।
  - 6.6 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ सम्बंधित कर अवधि में GST जमा करवाने एवं रिटर्न फाईल करने के संदर्भ में परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा। मासिक बिलों में GSTIN एवं HSN/SAC Code दर्शाना होगा।
  - 6.7 इसके अलावा प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय यह परिवचन (Undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा कि आज दिनांक तक (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) GST के भुगतान एवं उसके रिटर्न फाईल की जा चुकी है एवं इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद लंबित नहीं है एवं ना ही कोई चुक हुई है।
7. विभाग की ओर से कंन्टीन के लिये ठेकेदार को भवन विजलीव पानी निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य सभी सामान की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करनी होगी। कंन्टीन में उपयोग होने वाली



- वस्तुओं को तैयार करने के लिए निविदाकार द्वारा विभागीय बिजली का उपयोग नहीं किया जायेगा। एवं यदि ऐसा करते हुवे पाये जाने पर **₹.1000/-** की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी एवं बिजली का उपकरण भी जब्त कर लिया जायेगा, जो वापिस नहीं लौटाया जायेगा।
8. निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक होना आवश्यक है।
  9. निविदाकार को चाहिये कि उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति साफ-सुथरे व निरोगी हो। रोगी एवं संकमित व्यक्ति को केन्टीन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  10. केन्टीन को प्रतिदिन साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं समुचित साफ सफाई नहीं पाये जाने पर **₹.500/-** प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
  11. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान निविदाकार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  12. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियोंका व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।
  13. निविदाकार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियोंके वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदारको करनेहोगें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।
  14. निविदाकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियोंके बारे में पूरी जानकारी निविदाकार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।
  15. खाद्य व पेय सामग्री बनाए जाने, रखे जाने व उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री व पेय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम होना आवश्यक है।
  16. विभाग द्वारा अनुसूची व स्वीकृत खाद्य/पेय पदार्थों की मात्रा, किरम व दर में ठेकेदार द्वारा अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन निविदा शर्तों का उल्लंघन समझा जायेगा।
  17. प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी की ओर से प्रतिदिन उपस्थिती के आधार पर 3 चाय कूपन देय है। ठेकेदार प्रतिमाह चाय कूपन एकत्रित कर दिनांक 15 तक चाय कूपन जमा कराकर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा। कर्मचारियों को यदि ठेकेदार की ओर से खाद्य व पेय उधार में उपलब्ध कराई जाती है, तो उस की राशि की वसूली के संबंध में स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
  18. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी की जा सकेगी। प्रशासन द्वारा कोई भी अनियमितता/गुणवत्ता की कमी पाये जाने पर **₹.1000 प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी।** प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझाव/आदेश ठेकेदार को मानने होंगे।
  19. यह निविदा एक (01)वर्ष के लिए मान्य होगी। एक वर्ष की गणना कार्य आरम्भ की दिनांक से की जाएगी। सफल निविदाकार विभाग के साथ एक अनुबंध स्वयं के खर्च पर करेगा जो एक (01) वर्ष तक मान्य होगा। जो कार्य आदेश जारी होने के एक महीने में करना होगा।
  20. कार्य आदेश जारी होने के सात दिवस में कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा **₹ 500 प्रतिदिन की पेनल्टी ठेकेदार से ली जाएगी।**
  21. सफल निविदाकार के साथ विभाग एक अनुबंध भी करेगा जो एक (01)वर्ष तक मान्य होगा।
  22. कंपनी के सामान की संपूर्ण सुरक्षा ठेकेदार की होगी। किसी भी तरह की टूट-फूट होने पर उक्त सामान की पूरी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी। सफल निविदाकार को सभी रसायन स्वयं ही जुटाने होंगे एवं उक्त कार्य अन्य किसी व्यक्ति को ठेके पर नहीं देगा।
  23. केन्टीन प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 तक खुली रखनी होगी एवं अवकाश के दिन आवश्यकता होने पर केन्टीन खोलनी होगी।
  24. निविदादाता अनुलग्नक-1 में अपना परिवार एवं नियम एवं शर्तों की सहमती प्रमाण-पत्र देवे।
  25. प्रमुख एवं प्रभारी (डिप्टी मैन) आर.एस.एम.एम.एल., को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  26. प्रमुख एवं प्रभारी (डिप्टी मैन) आर.एस.एम.एम.एल., किसी भी तरह की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होगा।
  27. अधिकारियों के कक्ष में खाद्य सामग्री या पेय आदि व्यवस्थित रूप से टूट में भीम चाईना कप प्लेट में रखने होंगे। कर्मचारियों को सायं/काफी भीम चाईना मग में देनी होगी। निविदा अवधि की प्रारम्भ में



- वांछित मात्रा में काकरी एवं ट्रे आदि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के प्रबंधन से अनुमोदित करा क्य करनी होगी।
- 28 कर्मचारियों को प्रतिदिन दिन में तीन बार चाय 10.30 से 11.00 बजे, 2.30 से 3.00 बजे एवं साय 5.00 से 5.30 बजे के मध्य टेबल पर वितरित करनी होगी एवं इसके अलावा समय-समय पर टेलीफोन पर मंगवाने पर भी चाय/काफी भिजवानी होगी।
- 29 निविदाकार द्वारा खाद्य/पेय पदार्थ का लेन-देन कूपन प्रणाली द्वारा किया जा सकेगा।
- 30 निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का पूर्णरूपेण अनुपालना नहीं करने/कार्य को सतोष पूर्ण ढंग से निष्पादन नहीं करने व खाद्य/पेय पदार्थों को निर्धारित क्वालिटी न रखने पर निर्धारित कमेटी द्वारा उचित क्षतिपूर्ति मासिक बिल में से कटौती कर दी जाएगी।
- 31 विभाग द्वारा आपको सुव्यस्थित केन्टिन के लिए स्थान, किचन, पानी एवं रोशनी हेतु विजली, बिना किसी चार्ज के दी जावेगी।
- 32 किसी निविदाकार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम) आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।
- 33 इस अनुबंध से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर न्यायालय ही रहेगा।
- 34 निविदाकार आवेदन तिथि से निविदा निर्णय की अवधि में अपनी निविदा वापस लेता है अथवा शर्त तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो निगम को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जप्त कर ले।
- 35 मासिक बिलों का भुगतान निम्नलिखित दस्तावेजों के उपलब्ध करवाने पर किया जायेगा
१. मासिक बिल ( दो प्रतियों में) ।
  २. P.F. जमा करवाने का चालान ।
  ३. E.S.I. जमा करवाने का चालान।
  ४. वेतन भुगतान रजिस्टर की सत्यापित फोटो प्रति।
- 36 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर/सेवाकर/विक्रय / वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी सर्विस टैक्स/वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान सर्विस टैक्स /वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
- 37 सिगरेट, पान गुटका, नशीले पेय एवं प्रतिबंधित पदार्थों का केन्टिन में रखना / उपलब्ध करवाना एवं विक्रय करना प्रतिबंधित है एवं ऐसा करते हुवे पाये जाने पर रु.1000/- की पेनल्टी ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
- 38 केन्टिन में केवल मात्र "Commercial" यानि व्यवसायिक गैस सीलेण्डर ही उपयोग में लेना होगा।
- 39 कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में एक (01)माह के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 40 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कटौती की जावेगी एवं निविदादाता को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।
- 41 कैंटीन नहीं खोलने के फलस्वरूप प्रतिदिन रुपये 1000/-के हिसाब से पेनल्टी के रूप में कटौती मासिक बिल में की जावेगी।इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 42 चाय की न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को LI माना जाएगा। चाय की न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थों की न्यूनतम दर प्रस्तुत दर नहीं होने की स्थिति में निविदाकार के साथ अन्य खाद्य/पेय पदार्थों की न्यूनतम दर प्रस्तुत करने हेतु Negotiate किया जाएगा।
- 43 निविदा में निर्धारित खाद्य/पेय पदार्थों के अतिरिक्त अन्यखाद्य/पेय पदार्थों की कीमतों का निर्धारण कंपनी द्वारा अधिकृत कमेटी द्वारा किया जाएगा।
- 44 समय समय पर राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा ठेके के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के सबंध में जारी दिशा/निर्देश/ नियमों, उपनियमों एवं नियमों में संशोधन की पालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

## निविदा की अन्य विशिष्ट शर्तें

1. निविदा में निर्धारित सभी आइटम केन्टीन में उपलब्ध होने चाहिये। जिसकी प्रशासन विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
2. कॉन्ट्रक्टर शिकायत/सुझाव रजिस्टर केन्टीन में उपलब्ध रखेगा, जिसकी समय-समय पर जांच एवं उस पर संबंधित कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदाकार उस निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा।
3. असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो प्रतिभूति राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
4. किसी भी प्रकार के हानि/दावा/क्षतिपूर्ति जो ठेकेदार अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही बनती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रक्टर की होगी।
5. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू है एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।
6. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों और कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कर्मचारियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कम्पनी को मुक्त रखेगा।
7. ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रेक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970, एम्प्लोयस लायबिलिटी एक्ट, 1938 इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एवं इन समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
8. अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम -1948 एवं अन्य लागू अधिनियमों को और उनके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा।
9. कॉन्ट्रक्टर को आवश्यकतानुसार स्थानीय नगर परिषद् से शॉप एण्ड एस्टब्लिसमेन्ट एक्ट लाइसेन्स स्वयं लेना होगा।

  
03/08/18

प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)





राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एस.वी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम,

2, गॉधी नगर योजना,

वीकानेर ।

निविदाक. आरएसएमएम/जिप/प्रशा/4(14)/2018-476

दिनांक 03.08.2018

1.	वांछित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट स. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर स. राशि..... दिनांक.....
2.	निविदाकार का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं. /मोबाईल नं /फैक्स नं./ ई मेल।	नाम..... पता..... टेलीफोन नं ..... मोबाईल नं ..... फैक्स नं. .... ई मेल .....
3.	आरएसटी/सीएसटी/ जीएसटी /परमानेंट इन्कम टैक्स नं. यदि है तो (सफल निविदाकार के लिए मांगे जाने पर आवश्यक)	
4.	नगर परिषद का पंजीकरण विवरण	
5.	निविदाकारको सरकारी/प्राइवेट संस्थानों में पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक(1)वर्ष केन्टीन चलाने का संतोषजनक अनुभव के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति सलग्न की गई है।	
6.	क्या निविदाकार ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवाद लम्बित नहीं है ?	
7.	प्रस्तावक का पी एफ रजिस्ट्रेशन नं एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी अथवा इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी.एफ.के रजिस्ट्रेशन करवा लिया जायेगा ।	पी. एफ. रजिस्ट्रेशन नं ..... शपथ पत्र .....

प्रमाण- पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आर.एस.एम.एम.एल. के निविदा कर्मांक ..... जारी किये गये मूल निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों को पढ़ा है। उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तों पर सहमत हूँ तथा कार्य आदेश मिलने के पश्चात सातदिवसमें केन्टीन सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगा।

स्थान : .....

दिनांक:.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

( To be submitted in the " Technical/Qualifying Bid" envelope)

DECLARATION

I/We \_\_\_\_\_ S/o \_\_\_\_\_

R/o \_\_\_\_\_ certify that none of my relative(s) as defined in the tender document is/are employed in RSMML unit as per details given in tender document. In case at any stage, it is found that the information given by me is false then the work awarded to me can be terminated without any prior intimation to me.

Signature of tenderer.

Note:-The terms for near relatives for this purpose are defined as:

1. Members of Hindu Undivided family.
2. They are husband and wife.
3. The one is related to the other in the manner as father.
4. Mother's & son's wife (daughter-in-law), Daughter(s) & daughter husband (son in law), Brother(s) & Brother's wife, Sister(s) Sister's Husband (Brother in law).



**कार्य की दरें (Rate Part)**

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :-

क.सं.	वस्तु का नाम	वजन/मात्रा प्रति इकाई	निर्धारित दर (रु.में )
1	चाय (स्टेन्ड ब्रांड)	125मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
2.	काफी ( नेस्केफे)	125मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
3.	ब्रांडेडशीतल पेय (Branded Cold drink)	100 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
4.	ब्रांडेडशीतल पेय (Branded Cold drink)	200 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
5.	ब्रांडेडशीतल पेय (Branded Cold drink)	300 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
6.	छाछ ( सरस )	100 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....
7.	छाछ ( सरस )	200 मि.ली.	दर शब्दों में रु..... दर अक्षरों में रु.....

Note-1.दरें शब्दों एवं अंकों (Words & Figures) में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दरों में किसी तरह का अन्तर होने पर न्यूनतम दर को ही प्रस्तावित दर माना जायेगा। 2.उपरोक्त प्रस्तावित दर सर्विस टैक्स / वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त देय होगी एवं सर्विस टैक्स / वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान सर्विस टैक्स / वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर...

निविदाकार/फर्म का नाम व मोहर.....

निविदाकार का पता.....

निविदाकार का टेलीफोन/मोबाईल नं.....

दिनांक.....